पत्र सं०–6 एस०एस०(6)19 / 2024–2198 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–....20.. / ..05.... / 2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत कुल रुपये 205.92 लाख (रुपये दो करोड़ पाँच लाख बेरानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत 1287 मोबाईल आधारित एनालाईजर के क्रय हेतु अंशदान (40 प्रतिशत) के रूप में व्यय किये जाने की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–4322 दिनांक–18.09.2024 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत कुल रुपये 205.92 लाख (रुपये दो करोड़ पाँच लाख बेरानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत 1287 मोबाईल आधारित एनालाईजर के क्रय हेतु अंशदान (40 प्रतिशत) के रूप में व्यय किये जाने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध संग्रहण प्रक्रिया को स्वचालित और कुशल बनाना है। इससे दूध की गुणवत्ता में सुधार, दूध के माप एवं संग्रह की सटीकता में वृद्धि, पशुपालकों को पारदर्शी भुगतान और डेयरी फार्मिंग में तकनीकी प्रगति होती है। इससे दूध संग्रह प्रक्रिया को अधिक कुशल और किफायती बनाया जाता है। प्रस्तावित योजना कॉम्फेड, पटना के द्वारा किया जायेगा।

3. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय राज्यादेश संख्या–4322, दिनांक–18.09.2024 के आलोक में 1287 मोबाईल आधारित एनालाईजर के क्रय हेतु रु० 60000 / इकाई की दर पर राज्य अंशदान (40%) के रूप में रु० 24000 / इकाई की दर से रु० 308.88 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

4. मोबाईल आधारित एनालाईजर के मूल्य में वृद्धि होने से इसकी लागत रु० 100000 / इकाई हो गयी। मूल्यवर्धन के फलस्वरूप राज्य अंशदान के रूप में (40%) रु० 40000 / इकाई की दर से राशि की आवश्यकता कॉम्फेड, पटना को

है, जिसमें से रु० 24000/इकाई की दर से राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध कराया गया है। शेष राशि रु० 16000/इकाई की दर से कुल 1287 इकाई हेतु 205.92 लाख की आवश्यकता हेतु वित्तीय वर्ष में 2025–26 में योजना की स्वीकृत हेतु प्रस्ताव कॉम्फेड, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

5. यह योजना एक चालू योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन से निम्नांकित लाभ होंगे :–

(i) स्वचालित प्रणाली दूध की मात्रा और गुणवत्ता (वसा और एस०एन०एफ०) को सटीक रूप से मापता है।

(ii) दुग्ध संग्रहण प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे दुग्ध समितियों को कम समय में अधिक दूध एकत्रित करने में मदद मिलती है।

(iii) यह प्रणाली मैनुअल कार्यों को कम करके दुग्ध संग्रहण प्रक्रिया को अधिक दक्ष बनाती है।

(iv) स्वचालित प्रणाली के उपयोग से दुग्ध संग्रहण केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है, जिससे परिचालन लागत कम हो जाती है।

6. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की एकमुश्त निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में उपलब्ध कराया जायेगा।

8. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि निदेशक, गव्य कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में राशि स्थानान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।

9. इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन राज्य स्कीम अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेयरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद, विपत्र कोड 02–2404001020115 में उपबंधित राशि से व्यय की जायेगी।

10. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

11. चुँकि यह योजना एक चालू राज्य योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)19/2024 के पृष्ठ–41/टि० दिनांक–15.05.2025.

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)19/2024 के पृष्ठ–40/टि० तथा डायरी सं०–239, दिनांक–15.05.2025.

13. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

19/5/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024–2198 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 2198 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 2198 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024–2198 /पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 2198/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 2198/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)19/2024– 2198/पटना–15, दिनांक–20/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत कुल ₹ 205.92 लाख (रुपये दो करोड़ पाँच लाख बानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत 1287 मोबाईल आधारित एनालईजर के क्रय हेतु अंशदान (40%) के रूप में व्यय किये जाने की योजना की स्वीकृति के लिए व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड	योजना विवरणी	कुल लागत (राशि लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	2	3	4	5
विषय शीर्ष–0115.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद, विपत्र कोड 02–2404001020115	1287 स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाई के क्रय हेतु अंशदान (40 %)	205.92	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	योग :–	**205.92**		

(रुपये दो करोड़ पाँच लाख बानवे हजार) मात्र।

2198
20/05/25

सरकार के अपर सचिव